न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 83/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/160**
दायर दिनांक :– 09.04.2025 **निर्णय दिनांक :– 21.11.2025**

1. आलम खां पुत्र आदम खां जाति मुसलमान नविासी गणेशनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. रोशन पत्नी मीर मोहम्मद पुत्री जमाली जाति मुसलमान निवासी चारणाई तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 06/2018 है। उक्त अपील में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 96–10 बीघा सरहद मौजा गणेश नगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त अपील का निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा दिनांक 05.02.2019 को कर दिया था। उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 421 मौजा गणेशनगर भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की जिसमें मुकदमा नम्बर 213/2019 है। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2023 के कर पूर्व निर्णय दिनांक 05.02.2019 को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 680 मौजा चाखू को बहाल किये जाने का आदेश दिया। लेकिन आज दिन तक पूर्ण निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानून कोई महत्व नहीं रहा है। उक्त पूर्व निर्णय के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 421 मौजा गणेशनगर से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप का निर्णय दिनांक 05.02.2019 की पालना में मौजा गणेशनगर नामान्तरण संख्या 421 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2023 के द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 421 मौजा गणेशनगर जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 421 मौजा गणेशनगर से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप की राजस्व अपील संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 421 मौजा गणेशनगर के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व अपील संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 की पालना में मौजा गणेशनगर के नामान्तरकरण संख्या 421 को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)